"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नग़द भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 अप्रैल 2010—चैत्र 29, शक 1932

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-353/गृह/2007.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्रमांक 13 सन् 2007) की धारा 16 की उपधारा 2 के प्रावधान अनुसार राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एल. जे. सिंह, भूतपूर्व सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग एवं श्री रमेश नैय्यर (सेवानिवृत्त) संचालक छ. ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर को राज्य पुलिस आयोग में सदस्य नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 11-353/गृह/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

Raipur, the 19th April 2010

NOTIFICATION

No. F-11-353/Home/2007.—In accordance with the provisions contained in sub-section (2) of section 16 of Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government hereby appoints :—

(1) Shri L. J. Singh, Former Member, Chhattisgarh Human Rights Commission and

(2) Shri Ramesh Nayyar, Director (Retd.), Chhattisgarh Rajya Hindi Granth Academy, Ravishanker University, Raipur.

Member of the State Police Commission.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रा... ...गांव ... 2010.